न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 45/2022

1 पतासी देवी पत्नी देवा जाति गुर्जर निवासी बुरली की ढाणी तन गुढागौड़जी तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 भूमि धारक, तहसीलदार गुढ़ागोड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 21.01.2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
उनवानी पतासी देवी बनाम भूमिधारक
मु.नं. 212/2021 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 251 ए आर.टी.एक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री जुगल किशोर सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 9.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा 212/2021 में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया अपीलांट ने प्रार्थना पत्र 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 2876, 2877, 2885 वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 2914, 2878 वाके ग्राम गुढागोडजी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र खारिज कराने की भारी कानूनी भूल की है तथा दो लाईन का आदेश पारित किया गया है अपीलान्ट द्वारा चाहा गया रास्ता भूमि खसरा नम्बर 2914 में से है जो गैर मुमकिन बजड़ भूमि है तथा राजकीय खाता संख्या 1 में दर्ज है। विचारण न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (गुप–6) विभाग कमांक पं.3(17) राज–61 2021 पार्त/91 दिनांक 30.09.2021 के बिन्दू संख्या 3 का हवाला देकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है जबकि इसके अन्तर्गत केवल नदी व नालो की भूमि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

ही आती है। अपीलान्ट द्वारा चाहा गया रास्त भूमि खसरा नम्बर 2914 में से है जिसकी किस्म बजड़ या परती जुताई है इस भूमि में न्यायालय हाजा को रास्ता का आदेश पारित करने का पूरा पूरा अधिकार है तथा रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि प्रार्थीया अपीलान्ट की खातेदारी से राजहक में लेकर रकबा बराबर किया जा सकता था परन्तु विचारण न्यायालय ने इस तरफ काई माईण्ड अप्लाई नहीं किया है। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा मौका जांच रिपोर्ट द्वारा 20.10.2021 न्यायालय में पेश की गई है। उसमें तहसीलदार द्वारा कही भी कोई एतराज नहीं किया गया है तथा ना ही तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा कोई जवाब पेश किया गया है। विचारण न्यायालय से अपीलान्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष न्यायालय क्यों नहीं दे सकता। इसका विस्तृत विवरण अपने आदेश दिनांक 20.01.2022 में नहीं किया है जबकि न्यायालय को आदेश लिखते समय पूरा विवेचन करना पड़ेगा जो विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20.01.2022 में नहीं किया गया है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने राजस्थान सरकार के परिपत्र की पालना में विचाराधीन निर्णय पारित कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म बंजर खेदड़ व बारानी प्रथम, गैर मुमकिन नाले में से रास्ता चाहा गया है। विधि अनुसार राजस्थान सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप–6 विभाग कमाक प–3(17)रजि.–6/2021पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 की पालना में जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर रास्ता प्राप्त किया जा सकता है। धारा 251 ए में अपीलांट का आवेदन पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)